BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

(Formerly Bhopal University, Bhopal)

Office: Hoshangabad Road, Bhopal-462026

No.: 1086/isdc./2017 Bhopal, Date 19/7/2017

EMPANELMENT OF CANDIDATES FOR GUEST FACULTIES

Applications on plain paper are invited from suitable candidates for empanelment of Guest faculties in the various teaching departments. Empanelled candidates can be invited as Guest faculties subject to the requirement of the Departments. The University reserves the right to engage or not to engage the candidates enlisted in the panel. Complete application along with relevant documents should to submitted to the respective Heads of the Departments latest by 10.08.2017. For more details please visit the University website www.bubhopal.nic.in.

REGISTRAR

BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

(Formerly Bhopal University, Bhopal)

Office: Hoshangabad Road, Bhopal-462026

No. Bhopal, Date

EMPANELMENT OF CANDIDATES FOR GUEST FACULTIES

Applications are invited from suitable candidates for empanelment of Guest faculties in the teaching departments. Qualifications as per the norms of the UGC or the Regulatory body as applicable. Remuneration/Payment will be made as per the University rules. The rules approved by the executive council shall be applicable for the empanelment of the candidates.

This advertisement is made for the empanelment and not for appointment. Empanelled candidates, however, can be invited as Guest faculties subject to the requirements of the Department/institutes. The University reserves the right to engage or not to engage the enlisted candidates as Guest Faculties.

Desiring candidates should apply on plain paper along with their complete Biodata and supportive attested documents to the respective. Heads of the departments (HOD) or Director of the institution in following manner.

S. No.	Subject	Address to	Department/Institutes
1.	Arabic	HOD	Arabic
2.	English, Hindi, Sanskrit, Urdu, Linguistics	HOD	Comparative Languages and Culture
3.	Persian	HOD	Persian
4.	Commerce	HOD	Commerce
5.	Education (B.Ed.), Master of Education	HOD	Continuing Education and Extension
6.	Yogic Sciences	HOD	Yoga
7.	Law, English, Hindi, French, Economics, Pol. Sciences, History	HOD	Legal Studies and Research
8.	Biotechnology, Bioinformatics	HOD	Biotechnology
9.	Biochemistry, Genetics	HOD	Biochemistry, Genetics
10.	Bioscience	HOD	Bioscience
11.	Environmental Science, Limnology	HOD	Environmental Science, Limnology
12.	Microbiology	HOD	Microbiology
13.	Applied Aquaculture, Zoology	HOD	Applied Aquaculture, Zoology
14.	Physical Education	HOD	Physical Education
15.	Computer Sciences, Information Technology	HOD	Computer Sciences & Application
16.	Earth Science, Geo Informatics Remote Sensing	HOD	Earth Science
17.	Electronics	HOD	Electronics
18.	Physics	HOD	Physics
19.	Psychology	HOD	Psychology
20.	Economics, Geography	HOD	Economics, Geography
21.	Sociology, Social Work	HOD	Sociology

22.	Women Studies	HOD	Women Studies
23.	Management (MBA)	HOD	C.R. Institute of Management
24.	Pharmacy	HOD	Pharmacy
25.	Civil Engineering, Computer Science & Engineering, Electronics & Comm. Engineering, Information Technology, Mechanical Engineering, Computer Application, Material Sciences, Nanotechnology, Digital Communication, Product Design & Engg., Microwave and Millimeter waves, Applied Physics, Applied Chemistry, Industrial Mathematics, Mathematics	Director	University Institute of Technology
26.	Stem Cell Engineering	HOD	Microbiology
27.	Biomedical Engineering	HOD	Bioscience
28.	Cyber law and information Security	HOD	UIT
29.	International Business Management (MBA)	HOD	C.R. Institute of Management

Complete applications must reach on or before 10.08.2017 by 4.00 pm. Separate application should be made for each department.

REGISTRAR

:: शैक्षणिक कार्यो में सुचारू संचालन हेतु गेस्ट फैकल्टी / आमंत्रित विशेषज्ञों की आवश्यकता का आंकलन / चयन / पारिश्रमिक / यात्रा भत्ता आदि के निर्धारण के विनियम ::

(1) गेस्ट फैकल्टी :

1. **योग्यताएं :–** पैनल बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट यू.जी.सी. नियमों के आधार पर होगी। पैनल बनाने हेतु वरियताक्रम निम्नानुसार रहेगा।

1.1 संबंधित / संभावित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा नेट / स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण या पी.एच.डी. धारक।

1.2 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिये अंकों में उपर्युक्त तीन श्रेणियों में 5% अंकों की छूट होगी।

1.3 बी.यू.आई.टी., सी.आर.आई.एम., फार्मेसी, विधि व अन्य विभागों में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता के निर्धारण के लिये नियामक आयोगों के मापदण्ड के अनुसार योग्यता क्रम का निर्धारण होगा।

(2) आवश्यकता अनुसार पेशेवर / शैक्षणिक / शोध संस्थाओं / संबंधित उद्योगों व व्यापारिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक / वैज्ञानिकों / पेशेवर व्यक्तियों को भी (i) एडजक्ट फैकल्टी अथवा (ii) आमंत्रित विशेषज्ञ के रूप में बुलाया जा सकता है। इस हेतु विभागाध्यक्षों को प्रस्ताव बनाकर कुलपति महोदय की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) गेस्ट फैकल्टी के पैनल का निर्माण विज्ञापन के आधार पर किया जावेगा तथा विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विज्ञापन गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने के लिये है न कि नियुक्ति करने के लिये। प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही आवश्यकतानुसार विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए साथ ही विज्ञापन विश्वविद्यालय / संस्थान / विभाग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जा सकता है। अकादमिक सत्र के मध्य में यदि पुनः आवश्यकता हो तो गेस्ट फैकल्टी हेतु पैनल का निर्माण केवल विश्वविद्यालय एवं संस्थान / विभाग की वेबसाईट तथा सूचना पटल पर विज्ञापन प्रकाशित कर किया जा सकता है।

3.1 विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि पैनल में शामिल व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के लिये किसी प्रकार का अवसर दे अथवा न दें।

(4) विज्ञापन के पश्चात् अभ्यार्थी संबंधित विभागाध्यक्ष के पास अपना आवेदन समस्त आवश्यक अभिलेखों की छायाप्रतियों के साथ अंतिम तिथि तक जमा करेगें। पैनल पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये तैयार किया जायेगा।

निरंतर....2....

(5) प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी का काम विभागाध्यक्ष अन्य दो शिक्षकों के सहयोग से करेगें। इस हेतु समिति के गठन की पूर्वानुमति कुलपति से प्राप्त करनी होगी।

(6) पैनल तैयार करने वाली समिति का गठन निम्नानुसार होगा।

1.	विभागाध्यक्ष / निर्देशक / समन्वयक	–	अध्यक्ष
2.	संकायाध्यक्ष	–	सदस्य
3.	विभाग या संबंधित संकाय का एक शिक्षक	–	सदस्य

(7) उपर्युक्त संदर्भ में विज्ञापन प्रसारित होने के उपरांत आगे की कार्यवाही करना या नही करना विश्वविद्यालय का प्रशासन का अधिकार होगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार नही होगा।

(8) विज्ञापन द्वारा बनाये गये पैनल के अतिथि व्याख्याताओं तथा बिन्दु क्रमांक 02 को (i) के अंतर्गत एडजक्ट फैकल्टी का मानदेय रू. 250/– प्रति पीरियड का के आधार पर होगा। एक पीरियड समय का एक घंटे का होगा। आमंत्रित विशेषज्ञ (ii) को प्रति दिवस व्याख्यान हेतु अधिकतम रू. 1,000/– का मानदेय दिया जा सकेगा।

(9) एक माह में अतिथि व्याख्याता का कुल मानदेय रू. 18,000/– से अधिक नही होगा। समय–समय पर मानदेय माननीय कुलपति के अनुमोदन पश्चात् संशोधित किया जा सकेगा। बी.यू.आई.टी., सी.आर.आई.एम., फार्मेसी एवं विधि व्यवसाय पाठ्यक्रमों के लिए मानदेय भुगतान की अधिकतम सीमा रू. 25,000/– प्रतिमाह होगा।

(10) अगले सत्र में विज्ञापन तथा पैनल तैयार किये जाने तक विभागाध्यक्ष चाहे तो पूर्व पैनल को सम्मिलित अभ्यार्थियों से कुलपति से अनुमोदन के पश्चात् पुनः गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित कर सकते है।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462026

क्रमांक...133.../प्रशा/2017

भोपाल दिनांक 28/1/2017

आदेश

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 3–1–2017 के पद क्रमांक 16/6/11 में पारित निर्णयानुसार मध्यप्रदेश राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्र0 969/एफ 1–9/2016/38–1 दिनांक 8–8–2016 के परिपालन में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों /संस्थान में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को निम्नानुसार मानदेय देय होगा:–

क्र0	पदनाम	निर्धारित मानदेय
1	अतिथि विद्वान –प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक पद के विरूद्व	रूपये 275 प्रति कालखण्ड अधिकतम रूपये 825 प्रतिकार्य दिवस

उक्त मानदेय की अधिकतम सीमा रू0 18000/– अन्य पाठयक्रम एवं तकनीकी पाठयक्रमों हेतु रू0 25000/– होगी। आमंत्रित विशेषज्ञों को प्रति व्याख्यान रू0 1000/– मानदेय पूर्ववत देय होगा ।

आदेशानुसार

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

पृ0क्रमांक...134.../प्रशा/2017

भोपाल दिनांक 28/1/2017

प्रतिलिपि:–

1 समस्त विभागाध्यक्ष, ब0वि0वि0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2 वित्त नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3 सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, ब0वि0वि0 भोपाल ।
3 संबंधित व्याख्याताओं की ओर सूचनार्थ ।
4 निजी नस्ती ।

उप–कुलसचिव (प्रशासन)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल